



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 209 / SEIAA/2022

Date: 22/4/22

प्रति,

खनिज अधिकारी,


जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 8255/2021 - परियोजना प्रस्तावक श्री अंशुल खरे आत्मज श्री अरूण खरे, निवासी-इन्द्रपुरी कॉलोनी, आईएसटी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), द्वारा उत्पादन क्षमता 24519 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 236/1, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम श्रीनगर, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 563वीं बैठक दिनांक 04.04.2022 की अनुसंशा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 718 वीं बैठक दिनांक 12.04.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 01 अन्य खदान (देवेन्द्र जैन) के साथ प्रस्तावित खदान की Overlapping एवं खदान में अवैध उत्खनन होना परिलक्षित हो रहा है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत जिला खनिज अधिकारी से प्रस्तावित खदान की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाये। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रस्तावित खदान की वास्तविक जानकारी SEIAA कार्यकाल को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।



(आलोक सायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 210 /SEIAA/2022

दिनांक - 22/4/22

प्रतिलिपि :-

श्री अंशुल खरे आत्मज श्री अरूण खरे, निवासी-इन्द्रपुरी कॉलोनी, आईएसटी, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।


प्रभारी अधिकारी